प्रकरण संख्या 4/2022 रामशंकर बनाम दलीचन्द व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.12.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा साकरोदा में वादी के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1082, 1083, 1084 कुल किता 3 रकबा 0.3398 हैक्टर भूमि स्थित है। खसरा नंबर 1061 किस्म बिलानाम रास्ता होकर प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी की आराजी नंबर 1972/1 रकबा 0.4450 हैक्टर भूमि से वादी 60 वर्षो से आवागमन कर रहा है, किन्तु अब प्रतिवादी रूकावट उत्पन्न करते हैं। अतः प्रतिवादी की खाते की आराजी नंबर 1072/1 रकबा 0.4450 हैक्टर में से 15 फिट रास्ता वादी को दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के जवाब एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगना राशि जमा करने की शर्त पर वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08.12.2022 को प्रस्तुत प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी का पोता उदयपुर में अध्ययनरत होने से वह उदयपुर में निवास करता है, जिससे उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:23 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमोंइ एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि तहसीलदार चीखली द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में रिपोर्ट पटवारघर में बैठकर मात्र खतौनी के आधार पर तैयार की गयी है, जिससे अपीलान्ट बाध्य नहीं है। अपीलान्ट को प्राप्त मौका रिपोर्ट के पश्चात् अपना जवाब प्रस्तुत करना था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही अपीलान्ट का जवाब बन्द कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी, जिससे अपीलान्ट अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके। अधिनस्थ न्यायालय ने आनन-फानन में बिना अपीलान्ट को सुने तहसीलदार की एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2023 (1) Page 490, RRT 2022 (2) Page 1098, RRT 2021 (2) Page 1264 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चीखली की मौका रिपोर्ट के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट के खातेदारी की भूमि में आने-जाने हेतु मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण कीमतन रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी नंबर 1072/1 रकबा 0.1450 हैक्टर में से रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, वह अपीलान्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:23 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को अपना जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया गया है तथा अपीलान्ट का जवाब लिये बिना तथा उसकी अनुपस्थिति में उसकी खातेदारी भूमि में से एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 9/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर तथा पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.03.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गयाॱ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:17:23 IST
Reason: SelfAttested